न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ
सत्रवाद संख्या–49 / 2001 / 23 / 2025
सरकार बनाम अब्दुल खान

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
दिनांक–02.05.2026
सत्रवाद संख्या– 49 / 2001 / 23 / 2025
रफीगंज थाना कांड सं0–06 / 1989
सीआइएस–2298 / 2013

अभियोजन	राज्य द्वारा राज कुमार सिंह सूचक
राज्य की ओर से	श्री अनील चतुर्वेदी विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. जिया–उल–खान, 2. अब्दुल खान
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री मो0 शाहिद

अपराध की तिथि	13-01-1989
प्राथमिकी की तिथि	13-01-1989
अंतिम प्रपत्र की तिथि	30-11-1998
आरोप गठन की तिथि	21-01-2021
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	26-03-2021
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	21-04-2026
निर्णय की तिथि	02-05-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त विवरणी

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	दोष मुक्ति / दोष सिद्धी	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि का धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत समायोजन
1.	जिया–उल–खान	06.07.1989	09.08.1989	367, 326, 295-A of the 34 IPC	दोष मुक्त	नहीं	01 महीना 03 दिन
2.	अब्दुल खान	08.02.1990	21.03.1990				01 महीना 13 दिन

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन गवाह,

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	तपेश्वर यादव	पक्षद्रोही

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	नहीं	नहीं

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	नहीं	नहीं

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के प्रदर्श की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श,

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

ग. न्यायालय प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

निर्णय

अभियोजन का वाद

1. इस मामले में अभियोजन का संक्षिप्त वाद सूचक राज कुमार सिंह लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 12.01.1987 रात्रि करीब दस–ग्यारह बजे भल्लु खैटा के यादव टोला में अखंड हरिकीर्तन हो रहा था जिसमें सूचक भी आमंत्रित था। उक्त कीर्तन में उमेश कांदु, उम्र 10 वर्ष पुजा पंडाल में आया और बताया कि उसे जिया–उल–खान, अब्दुल खान एवं वाहाब खान ने जबरन बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है और बीते मुहरम्म में जबरदस्ती उसका खतना उन लोगों ने कर दिया। उमेश कांदू ने यह भी बताया कि अभियुक्तगण उसे रांची की तरफ से मिठाई का लालच देकर उठाकर लाये थे।
2. प्रस्तुत वाद में सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर रफीगंज थाना कांड संख्या–06/1989 दिनांक–13.01.1989 को धारा 367, 326, 298 और 34

भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानक द्वारा अनुसंधानोपरांत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 367, 326, 298 और 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दिनांक 30.11.1998 को आरोप पत्र समर्पित किया गया।

4. दिनांकः– 07.01.2000 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 367, 326, 298 और 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं दिनांक 02.03.2001 को न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा वाद दौरा सुपुर्द किया गया।

5. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–21.01.2021 को धारा– 367, 326, 295ए0 और 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर, आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर इससे इंकार किया और विचारण की मांग की।

6. प्रस्तुत वाद में हालांकि आरोप गठन तीनों अभियुक्तों पर किया गया था परंतु ट्राईल के क्रम में अभियुक्त वाहाब खान का वाद पृथक कर दिया गया था। अतः प्रस्तुत वाद में केवल जिया–उल–खान एवं अब्दुल खान के विरूद्ध विचारण चल रहा है।

7. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त का बयान दिनांकः–21.04.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लिया गया, जिसमें उन्होने अपने आप को निर्दोष बताया।

मन्तव्य

8. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से एक मौखिक साक्षियों यथा :

   अभियोजन साक्षी संख्या 1 तपेश्वर यादव (पक्षद्रोही)
   को प्रस्तुत किया गया है।

9. अभियोजन के द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

10. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ्, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ
सत्रवाद संख्या–49/2001/23/2025
सरकार बनाम अब्दुल खान

अपराध अंतर्गत धारा 367, 356, 295ए0, एवं 34 भा0द0वि0

अभियोजन के द्वारा अपने वाद के समर्थन में केवल एक गवाह प्रस्तुत किया गया है जिसने घटना की जानकारी होने में अनभिज्ञता जताई हैं एवं उसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। क्योंकि अभिलेख पर उपरोक्त गवाह के अलाव अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में दोषी नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण– 1. जिया–उल–खान 2. अब्दुल खान को धारा 367, 356, 295ए0, एवं 34 भा0द0वि0 में अपराध करने का दोषी न पाते हुए उन्हें उक्त धाराओं से बरी किया जाता है एवं वाद के सभी जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

(दिव्या वशिष्ठ)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ्
औरंगाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

लेखापित

(दिव्या वशिष्ठ)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ्,
औरंगाबाद।